भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 938
दिनांक 25 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जेनेरिक दवाइयों को बढ़ावा देना

938. श्री मलैयारासन डी.:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जन औषधि केंद्र योजना के अंतर्गत उपलब्ध जेनेरिक दवाइयों की कुल संख्या कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विशेषकर ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में जनता के बीच जेनेरिक दवाइयों के लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को जेनेरिक दवाइयों के उपयोग को बढ़ावा देने में किसी प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और यदि हां, तो उन्हें दूर करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) तमिलनाडु में अब तक खोले गए जन औषधि केंद्रों की कुल संख्या कितनी है और वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत तक स्थापित किए जाने वाले लक्षित केंद्रों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार की योजना जन औषधि योजना के अंतर्गत अधिक जीवनरक्षक अथवा महंगी दवाइयों को शामिल करने की है और यदि हां, तो तत्संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(च) जन औषधि केंद्रों जैसे सरकारी माध्यमों से बेची जाने वाली जेनेरिक दवाइयों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): सरकार ने सभी को वहनीय मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना शुरू की। इस योजना के अंतर्गत, देश भर में जनऔषधि केंद्रों के नाम से समर्पित आउटलेट खोले गए हैं, जहाँ ब्रांडेड दवाओं की तुलना में लगभग 50% से 80% सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं जिसके परिणामस्वरूप ब्रांडेड दवाओं के मूल्यों की तुलना में नागरिकों को लगभग 38,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। इस योजना के उत्पाद समूह के अंतर्गत 2,110 दवाइयाँ और 315 सर्जिकल सामग्री, चिकित्सीय उपभोग्य वस्तुएँ और उपकरण उपलब्ध हैं, जिनमें हृदयवाहिका, कैंसर-रोधी, मधुमेह-रोधी, संक्रमण-रोधी, एलर्जी-रोधी और गैस्ट्रो इन्टेस्टाइनल संबंधी दवाइयाँ और न्यूट्रास्युटिकल्स जैसी सभी प्रमुख चिकित्सीय श्रेणियाँ शामिल हैं।

योजना और जेनेरिक दवाओं के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने तथा जागरूकता की कमी के कारण उत्पन्न होने वाली कार्यान्वयन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, योजना की कार्यान्वयन एजेंसी अर्थात् भारतीय औषधि एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो, नियमित रूप से निम्नलिखित उपायों सहित कई कार्यकलाप संचालित करता है:

(i) विभिन्न माध्यमों जैसे प्रिंट मीडिया, रेडियो, टीवी, मोबाइल एप्लीकेशन, सिनेमा, होर्डिंग्स, बस क्यू शेल्टरों और बसों की ब्रांडिंग, ऑटो रैपिंग और कॉमन सर्विस सेंटरों पर टीवी स्क्रीन से विज्ञापन जारी करना;

(ii) सोशल मीडिया प्लेटफार्मों जैसे फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के माध्यम से आउटरीच कार्यकलाप; तथा

(iii) प्रति वर्ष 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाना।

इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों को केवल जेनेरिक दवाओं का प्रेस्क्रिप्शन लिखने का निर्देश दिया है और इसी प्रकार के निर्देश सभी केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) चिकित्सकों और कल्याण केन्द्रों (वेलनेस सेंटरों) को भी 'जेनेरिक नाम वाली दवाएं प्रेस्क्राइब करने' के लिए जारी किए गए हैं। साथ ही, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियमावली, 2002 में चिकित्सा आचार संहिता के पैराग्राफ 1.5 में प्रावधान है कि "प्रत्येक चिकित्सक को जेनेरिक नामों वाली दवाएं स्पष्ट रूप से और अधिमानतः बड़े अक्षरों में लिखनी चाहिए और वह यह सुनिश्चित करेगा/करेगी कि दवाओं का तर्कसंगत प्रेस्क्रिप्शन और उपयोग हो" और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने दिनांक 22.11.2012, 18.1.2013 और 21.4.2017 को परिपत्र जारी कर सभी पंजीकृत चिकित्सकों को इसका अनुपालन करने का निर्देश दिया है। राज्यों को भी जन स्वास्थ्य सुविधाओं में जेनेरिक औषधि के प्रेस्क्रिपशन सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है।

(घ): इस योजना के अंतर्गत दिनांक 30.6.2025 तक कुल 16,912 जन औषधि केंद्र (जेएके) खोले जा चुके हैं, जिनमें से 1,432 केंद्र तमिलनाडु राज्य में खोले गए हैं। सरकार ने दिनांक 31.3.2026 तक जेएके की संख्या बढ़ाकर 20,000 करने का निर्णय लिया है। नए जेएके खोलने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश-वार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है।

(ङ) और (च): इस योजना के अंतर्गत उत्पाद समूह को दिनांक 31.3.2026 तक 2,200 दवाओं और 320 शल्य चिकित्सा सामग्रियों, चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों और उपकरणों तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली दवाएं मानकों के अनुरूप हों, निम्नलिखित कड़े उपाय लागू हैं:

(i) दवाइयों की खरीद केवल विश्व स्वास्थ्य संगठन- उत्तम विनिर्माण पद्धतियों (डब्ल्यूएचओ-जीएमपी) द्वारा प्रमाणित आपूर्तिकर्ताओं से ही की जाती हैं।

(ii) योजना के अंतर्गत आपूर्ति की जाने वाली दवाओं के प्रत्येक बैच का परीक्षण राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में किया जाता है और गुणवत्ता परीक्षण में सफल होने के बाद ही दवाएं जन औषधि केंद्रों को भेजी जाती हैं।

(iii) विक्रेताओं के सुविधाकेन्द्रों का गुणवत्ता ऑडिट नियमित रूप से भारतीय औषध और चिकित्सा उपकरण ब्यूरो द्वारा किया जाता है ।

*****